न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/10/2014

1. नाथू उर्फ नाथू सिंह पुत्र स्व0 श्री कल्याण उम्र 66 वर्ष जाति जाट निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील सांगानेर हाल निवासी प्लाट नंबर 4, गोपाल नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड़ जयपुर।
2. सुरेन्द्र उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व0 ओमप्रकाश
3. घनश्याम उम्र 21 वर्ष पुत्र स्व0 ओमप्रकाश
4. रेखा देवी उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व0 ओमप्रकाश
5. संगीता देवी उम्र 28 वर्ष पुत्री स्व0 ओमप्रकाश
6. विमला देवी बेवा ओमप्रकाश उम्र 56 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील सांगानेर हाल निवासी प्लाट नंबर 25, डाक्टर्स कॉलोनी डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर।

7. ग्यारसीलाल उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम
8. भवानीशंकर उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम
9. पप्पूराम उर्फ रविप्रकाश उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम

समस्त जाति जाट निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील सांगानेर हाल निवासी प्लाट नंबर 69, विकास नगर–सी, हीरापुरा पांवर हाउस के पीछे अजमेर रोड जयपुर।

10. रामनारायण पुत्र स्व. चन्दा उम्र 56 वर्ष
11. मंगलचन्द उर्फ मंगलाराम पुत्र स्व. चन्दा उम्र 51 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा हाल निवासी 120 मरूधर नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर

12. मनफूली देवी पत्नी स्व0 शिवशंकर उम्र 56 वर्ष
13. अशोक पुत्र स्व0 शिवशंकर उम्र 30 वर्ष
14. मंजू पुत्री स्व0 शिवशंकर उम्र 35 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासी लक्ष्मी[illegible] हाल निवासी प्लाट नंबर 66 [illegible] नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ण

बनाम

1. भौमा उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व0 मोहरीया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वि.)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

2. नानचीया उर्फ जगदीश उर्फ नाथू श्रीया उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 मोहरीया
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. जरिये शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 10.05.2022

दावा वादीगण की ओर से इस आशय के साथ पेश हुआ कि विवादित अराजी हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 107 के खसरा नंबर 141 रकबा 3.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 211 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 489 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 632/728 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 647 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 116/735 रकबा 0.04 हैक्टेयर के. रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 1 लगायत 6 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 7 लगायत 9 हिस्सा 1/4, व वादी संख्या 10 लगायत 14 हिस्सा 1/4, व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/4 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि हैं। जिसका आज दिनांक तक विधिक विभाजन नही हुआ है किन्तु कदीम से मनवंट कर हिस्से के अनुसार काविज होकर निरन्तर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि होने के कारण वादीगण अपने हिस्से के विशिष्ट भू–भाग पर [illegible] नही कर पा रहा है प्रतिवादीगण, वादीगण के हिस्से व संयुक्त [illegible] भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा अनावश्यक [illegible] करते है। इसलिए संयुक्त रूप से वादीगण का उक्त भूमि पर काश्त करना व उसका विकास करना कठिन हो गया हैं। वाद कारण दिनांक 19.01.2014 को प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि का सहमति के आधार पर बंटवारा करने से इन्कार करने के कारण विरूद्व प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

अन्त में प्रार्थना की गई की खसरा नंबर 141 रकबा 3.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 211 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 489 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 632/728 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 647 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 116/735 रकबा 0.04 हैक्टेयर में वादीगण के हिस्से 3/4 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त का अंतिम विभाजन होने के पश्चात्, वादीगण की तन्हा हिस्से, खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त तथा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाधा न स्वयं करें, न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट तथा परिवारजन आदि से

सहायक कलेक्टर जयपुर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामधन सैनी एडवोकेट ने व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री विजय सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही किया है जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। वकील प्रतिवादी नं. 4 ने प्रार्थना पत्र बाबत् रिकॉर्ड पर लिये जाने जवाब दावा पेश किया। शामिल मिशल किया जाकर वकील वादी को सुना गया जाकर वकील प्रतिवादी नं. 4 का जवाब रेकॉर्ड पर लिए जाने की प्रार्थना पत्र एक सौ रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण नं. 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा को रेकॉर्ड पर लिया गया। प्रस्तुत जवाब दावे में पृथक से किसी प्रकार का [illegible] या तथ्य अंकित नही किया गया है। प्रतिवादी नं. 4 [illegible] इसलिए किसी प्रकार का वाद विन्दू कायम किया [illegible] होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार साक्ष्य वादी नियत की गई। [illegible] वादी हेतु वादी की ओर से शपथ पत्र क्रमश भवानी शंकर, रामनारायण, नाथू उर्फ नाथू सिंह ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा उपस्थित होकर पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। वकील प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण साक्ष्य वादी से जिरह प्रतिवादी का अवसर वन्द किया गया। तथा प्रतिवादी 1, 2, 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात पत्रावली वहस नियत की गई।

वहस वकील वादी एकतरफा सुनी गई। वहस पर वगौर मनन कर पत्रावाली का अवलोकन किया, संलग्न राजस्व रिकॉर्ड पर दृष्टिपात करने के उपरांत प्रार्थी/वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को मुताविक राजस्व रिकॉर्ड वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि हाल जमावन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 107 के खसरा नंवर 141 रकवा 3.73 हैक्टेयर, खसरा नंवर 207 रकवा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंवर 211 रकवा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंवर 214 रकवा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंवर 215 रकवा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंवर 234 रकवा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंवर 489 रकवा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नंवर 490 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंवर 632/728 रकवा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंवर 647 रकवा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकवा 7.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 108 के खसरा नंवर 116/735 रकवा 0.04 हैक्टेयर वाकै ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा पटवार हल्का रामपुराउंती भू.अभि. नि.क्षेत्र वगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अनुसार मुताविक राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजीयात का विधिक तकासमा (वटवारा) मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवम् आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी पेश किया गया, और निवेदन किया गया कि दिनांक 26.03.2015 को प्रार्थी के अधिवक्ता दीगर, न्यायालय में व्यस्तता के कारण एवं प्रार्थी संख्या 1 अपंगता तथा अप्रार्थी संख्या 2 अत्यधिक उम्र होने व वीमार होने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हो सके। दिनांक [illegible] को प्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल [illegible] वंचित हो गये। प्रार्थीगण को उक्त एकतरफा कार्यवाही की जानकारी दिनांक 26.11.2015 को वादी संख्या 1 से जानकारी होने पर व [illegible] की प्रमाणित प्रति लेने से हुयी। अन्त में प्रार्थना की गयी कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दिनांक 26.03.2015 को मन्सूख किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। अप्रार्थी/वादी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधी वहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने लिखित वहस पेश की। वहस में प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनो का विवेचन किया। अप्रार्थी/वादी के अभिभाषक ने अपनी सीधी वहस में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त विधिक प्रावधानो की मंशा के अनुरूप न तो न्यायालय में उपस्थिति दी और न ही अच्छा हैतुक प्रस्तुत किया। इस प्रकार जाहिर होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मात्र प्रकरण लंबित बनाये रखने के उद्देशय से प्रार्थना पत्र वास्ते मन्सूख किये जाने एकतरफा आदेश प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 तथ्यपरक व पोषणीय न होने से खारिज किया गया। व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सारहीन होने से खारिज किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से मान्य न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत करने पर मान्य न्यायालय ने अपील में अपने निर्णय में इस न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के निर्णय को यथावत रखा व न्यायहित में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कुर्रेजात आपत्ति पेश करने हेतु अनुमति प्रदान की।

न्यायाय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/17/2162 दिनांक 26.04.2017 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जो प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की गई है। जिसे खारिज किया जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावें। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आपत्ति को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को मुताबिक निर्णय [illegible] पुनः कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। [illegible] आदेश की [illegible] में तहसीदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 849 दिनांक 28.04.2021 को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पुर्व में की गई आपत्ति को दोहराया व पुनः कुर्रेजात मंगवाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त आपत्ति को खारिज फरमा दिया गया। उक्त के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज कर निर्देशित किया कि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानो को लागू करने के लिये नियम 18 से 21 की पालना कर उभयपक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर पुनः मंगवाये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर को मुताबिक निर्णय व डिक्री व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनुपालना में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार सांगानेर ने न्यायालय की आदेश की अनुपालना में अपने पत्र 2413 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई जो निम्नानुसार है:–

जमाबंदी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज

खाता सं.	खातेदारो का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
9	1. अशोक पुत्र शिवशंकर हि0 1/36 जाति जाट सा0 देह 2. ग्यारसीलाल पुत्र लालाराम हि0 1/2 साकिन पीएनबी मण्डोर 3. घनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/60 जाति जाट सा0देह 4. नाथू पुत्र कल्याण हि0 1/8 साकिन पीएनबी मण्डोर 5. नान्छीया पुत्र मोहरिया हि0 1/8 साकिन एसबीआई बगरू 6. पप्पूराम पुत्र लालाराम हि0 1/12 साकिन पीएनबी मण्डोर 7. भवानीशंकर पुत्र लालाराम हि0 1/12 8. भोम पुत्र मोहरिया हि0 1/8 साकिन यूको बैंक बगरू 9. मंगलचंद पुत्र चन्दा हि0 1/12 10. मंजू पत्नि शिवशंकर हि0 1/36 11. मनफूली देवी पुत्री शिवशंकर हि0 1/36 12. रेखा पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/60 13. रामनारायण पुत्र चन्दा हि0 1/12 14. विमला पत्नि ओमप्रकाश हि0 7/20	141 207 211 214 215 234 489 490 632/728 647	3.73 0.23 0.53 0.03 0.13 0.69 1.37 0.11 0.09 0.68	बारानी 3 चाही 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 बारानी 1 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 2 बारानी 2	13.06 7.36 16.96 0.64 3.36 5.18 4.80 0.39 0.54 4.08

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

	15. संगीता पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/60 16. सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/60 समस्त जाति जाट सा0देह				
	योग	10	7.59		56.37
92	1. अशोक पुत्र शिवशंकर हि0 1/36 जाति जाट सा0देह 2. ग्यारसीलाल पुत्र लाला हि0 1/12 3. घनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/60 4. नाथू पुत्र कल्याण हि0 1/8 राहिन पीएनबी मण्डोर 5. नानचिया पुत्र मोहरिया हि0 1/12 6. पप्पूराम पुत्र लाला हि0 1/12 7. भवानी शंकर पुत्र लाला हि0 1/12 8. भोमा पुत्र मोहरिया हि0 1/12 राहिन यूको बैंक बगरू 9. मंगलचन्द पुत्र चंदा हि0 1/12 10. मंजू पुत्री शिवशंकर हि0 1/36 11. मनफूली पत्नि शिवशंकर हि0 1/36 12. रेखा पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/60 13. रामनारायण पुत्र चन्दा हि0 1/12 14. विमला पत्नि ओमप्रकाश हि0 7/120 15. श्रीया पुत्र मोहरिया हि0 1/12 16. संगीता पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/60 17. सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/60 समस्त जाति जाट सा0देह खातेदार	116/735	0.04	बारानी 2	0.24
	योग	1	0.04	बारानी 2	0.24

कुरेजात बंटवारा निम्न प्रकार से है :–

कुर्रा	नाम खातेदार (वादीगण)	खसरा न.	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	नाथू पुत्र कल्याण हि0 1/6 राहिन पीएनबी मण्डोर	141 मि0 116/735	2.78 0.04	बारानी 3 बारानी 2	
2	ग्यारसीलाल पुत्र लालाराम हि0 1/9 राहिन पीएनबी मण्डोर	207 211	0.23 0.53	चाही 1 चाही 1	
3	पप्पूराम पुत्र लालाराम हि0 1/9 राहिन पीएनबी मण्डोर	214	0.03	चाही 1 जाव 1	
4	भवानीशंकर पुत्र लालाराम हि0 1/9	215	0.13	चाही 1	
5	अशोक पुत्र शिवशंकर हि0 1/27			जाव 1	
6	मंजू पुत्री शिवशंकर हि0 1/27	[illegible]	[illegible]	बारानी 1	5.18
7	मनफूली पत्नि शिवशंकर हि0 1/27	48[illegible]	0.47	बारानी 3	
8	रामनारायण पुत्र चन्दा हि0 1/9	[illegible] मि0	0.05	बारानी 3	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

9	मगलचन्द पुत्र चंदा हि० 1/9	632/728	0.09	बारानी 2	0.54
10	धनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हि० 7/312	647	0.68	बारानी 2	4.08
11	सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश हि० 7/312				
12	रेखा पुत्री ओमप्रकाश हि० 7/312				
13	संगीता पुत्री ओमप्रकाश हि० 7/312				
14	विमला देवी पत्नि ओमप्रकाश हि० 1/13 समस्त जाति जाट सा०देह हाल निवासी जयपुर।				
	योग	11	5.72		49.96
क्र.स.	नाम खातेदार (प्रतिवादीगण)	खसरा न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भोम पुत्र मोहरिया हि० 1/2 राहिन यूको बैंक बगरू	141 मि०	0.95	बारानी 3	
		489 मि०	0.90	बारानी 3	
2	नानचिया पुत्र मोहरिया हि० 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बगरू समस्त जाति जाट सा०देह	490 मि०	0.06	बारानी 3	
	योग	3	1.91		6.68

सहायक कलक्टर

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पेश की गई कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट वादी ने अपनी मर्जी के अनुसार राजस्व कारकूनान से मिलकर बनाई है विवादग्रस्त आराजी में से केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मात्र दो खसरे में से ही भूमि में हिस्सा दर्ज किया है जो भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सामलाती रूप से हिस्सा दर्ज किया है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मौजूद नही है उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पटवारी/एलआर द्वारा अपने कार्यालय में बैठ कर ही बनाई है और उक्त रिपोर्ट को ही सही मानते हुये तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट विभाजन के नियम व रेवन्यू बोर्ड रूल्स के विभाजन के नियम 18 से 21 के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने ज[illegible] न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र [illegible] पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली [illegible] दस्तावेजात अवलोकन किया गया। मूलवाद दिनांक 07.0[illegible]14 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाव दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाव पेश नही किया गया। तथा वाद में लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व वादपत्र पर बहस वकील वादी सुनी जाकर वाई मीट्स एण्ड वाण्ड्स के आधार पर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई। तत्पश्चात वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को अपोषणीय होने से खारिज फरमा दिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी को आपत्ति कुर्रेजात प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की व न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश को यथावत रखा। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर ने प्रथम वार अपने पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/17/2162 दिनांक 26.04.2017 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपत्ति कि की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नही की गई है न ही तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेवन्यू बोर्ड रूल्स के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना की गई है इसलिए प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाये। न्यायालय द्वारा आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर ने पुनः द्वितीय कुर्रेजात रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक 549 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा भिजवाई प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पुर्व में की गई आपत्ति को दोहराया व पुनः कुर्रेजात मंगवाने हेतु निवेदन किया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त आपत्ति को खारिज फरमा दिया गया। उक्त के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज कर निर्देशित किया कि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों को लागू करने के लिये नियम 18 से 21 की पालना कर उभयपक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर पुनः मंगवाये। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अजमेर की अनुपालना में पुनः तीसरी बार तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2413 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा तीसरी बार कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई। जिस पर पतिवादी संख्या 1 व 2 ने फिर आपत्ति पेश की है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मात्र दो खसरे में से ही भूमि में हिस्सा दर्ज किया है और तहसीलदार जी द्वारा रेवन्यू बोर्ड रूल्स के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा ना तो पत्रावली में वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है और ना ही लगातार ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये है। तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा भिजवाई गई कुर्रेजात रिपोर्ट पर तीसरी बार पूर्व में दोहराई गई आपत्तियों को दोहराया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण का निस्तारण न चाहकर केवल मात्र प्रकरण को लम्बित बनाये रखना चाहते है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आपत्ति को खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 01.04.2022 को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जमावी है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर पर होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय